

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 36/2020

श्री. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बं-नाम

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी वार्ड नम्बर 04, नामदेव गुरुद्वारा रोड, थोरी बस्ती, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।  
-नमूना विक्रेता एवं मालिक-  
मै० जी.डी. मार्केटिंग, प्लाट नम्बर 16-बी, 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/52


निर्णय

दिनांक : 06.01.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2019 को दोपहर बाद 3.30 बजे श्री प्रवीण कुमार खत्री, वरिष्ठ सहायक, हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ मै० जी.डी. मार्केटिंग, प्लाट नम्बर 16-बी, 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी वार्ड नम्बर 04, नामदेव गुरुद्वारा रोड, थोरी बस्ती, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना अपना परिचय देकर मै० जी.डी. मार्केटिंग, प्लाट नम्बर 16-बी, 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया तो वहां रखे 1 गत्ते के कार्टून में **Desi Ghee (Cow's Special)** युक्त 15 सील्ड प्लास्टिक जार, प्रत्येक जार में 200 एम.एल. **Desi Ghee (Cow's Special)** पाये गये जिसे उपस्थित ने आमजन को विक्रय हेतु बताया।

मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **K-999** के नमूनीकरण के लिये 200 एमएल **Desi Ghee (Cow's Special)** युक्त 4 सील्ड जार खरीदा जिसकी कीमत 256/-रुपये (अखरे रुपये दो सो छप्पन रुपये मात्र) का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता विजय कुमार बंसल पुत्र ओमप्रकाश बंसल के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ रालंग्न है।

  
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने नमूनीकरण के लिये 200 एमएल **Desi Ghee (Cow's Special)** युक्त 4 सील्ड जार खरीदने से पूर्व फार्म नम्बर 05 ए प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 5ए **Desi Ghee (Cow's Special)** विक्रेता विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Desi Ghee (Cow's Special)** के चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-999** एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूनाभाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा रिलप कोड अनुक्रमांक **K-999** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। गौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विजय कुमार बंसल ने पढकर, रामझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/2748/एक्ट/2019/2279 दिनांक 26.11.2019 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-999 **Desi Ghee (Cow's Special)** अमानक स्तर (Sub-Standard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी वार्ड नम्बर 04, नामदेव गुरुद्वारा रोड़, थोरी बरती, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Desi Ghee (Cow's Special)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

रजिस्टर (प्रशासन)  
अति. जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी सूरतगढ हनुमानगढ बाई पास मकान नम्बर 16 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स जी.डी. मार्केटिंग दुकान सूरतगढ हनुमानगढ बाईपास श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में घी की जांच की गई तो घी Sub-Standard Food पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त घी में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।


राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Desi Ghee (Cow's Special)** का सैम्पल के-999 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/2748/एक्ट/2019/2279 दिनांक 26.11.2019 द्वारा ( **Sub-standard** ) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में वर्णित है तथा धारा 31(1) के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी सूरतगढ हनुमानगढ बाई पास मकान नम्बर 16 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स जी.डी. मार्केटिंग दुकान सूरतगढ हनुमानगढ बाईपास श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में घी की जांच की गई तो घी Sub-Standard Food पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त घी में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Desi Ghee (Cow's Special)**" bearing Code No. and Sr. No. K-999 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganaganar is **Sub-standard** as it does not conform to the prescribed Standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1)के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000-00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब **Desi Ghee (Cow's Special)** का विधिक प्रावधानानुसार

  
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में **Desi Ghee (Cow's Special)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायमलय में सुनाया गया।



(डा. हरीतिमा)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)  
श्रीगंगानगर